प्रेषक,

चन्द्रेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक/सभापति,
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2023

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु शुल्क निर्धारण के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, हरिद्वार के पत्र संख्या—561/शुल्क निर्धारण/2023—24 दिनांक 22.07.2023 एवं पत्र संख्या—1016/शुल्क—निर्धारण/2023—24 दिनांक 04.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष एवं उत्तार मध्यमा द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अतंर्गत उपलब्ध कराने हेतु शुल्क रूपये 400.00 (रूपये चार सौ मात्र) प्रति विषय निर्धारण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 . यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक—157811/2023 दिनांक 27.09.2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय
Signed by Chandresh Kumar
Yadav
Date: 09-10-2023 16:08:38
(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, हरिद्वार।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Pradeep Mohan
Nautiyal
Date: 09-10-2023 17:06:35
(प्रदीप मोहन नौटियाल)
उपसचिव।

RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 10/10/2023 11:57 AM